48– उ0प्र0भू0राजस्व अधिनियम 1901 की धारा–48 के अनुसार यदि राज्य सरकार किसी क्षेत्र में अभिलेखों का सामान्य पुनरीक्षण एवं सर्वेक्षण कराना चाहती है,तो इस आशय की विज्ञप्ति जारी की जाती है।

48क– यू0पी0लैण्ड रेवन्यू की धारा–48 के अर्न्तगत विज्ञप्ति जारी होने के बाद जब तक दूसरी विज्ञप्ति उन करने के लिए जारी कर दी जाये। तब तक ऐसा क्षेत्र उ0प्र0भू–राजस्व (सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया रिकार्ड के अर्न्तगत रहेगा।

49– प्रत्येक जिले के कलेक्टर अपने जिले में सम्बन्धित क्षेत्रों के लिए अभिलेख अधिकारी होता है। उसके अधीनस्थ कलेक्टर संवर्ग का सहायक अभिलेख अधिकारी (ए0आर0ओ0) होता है। जिसके प्रभार में एक या एक से अधिक जिले के रिकार्ड आपरेशन की कार्यवाहियां होती हैं, ए0आर0ओ0 के अधीनस्थ सर्वे नायब तहसीलदार एवं सर्वे लेखपाल, पेशी कानूनगों तथा कार्यालय कर्मचारी होते हैं।

उ0प्र0भू–राजस्व (सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया) नियमावली 1978 के नियम–4 के अनुसार जिन क्षेत्रों/गांवों में अभिलेखों में 50 प्रतिशत से अधिक त्रुटि पाई जाती है, तो कलेक्टर वहां सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया प्रारम्भ करने के लिए एक प्रारूप में राजस्व परिषद को संस्तुति करेगें।राजस्व परिषद द्वारा कलेक्टर के प्रस्ताव का परीक्षण करने के बाद शासन को प्रस्ताव भेजा जाता है, और शासन इस प्रस्ताव से सहमति है, तो धारा–48 के अर्न्तगत सर्वेक्षण संक्रिया प्रारम्भ करने के अधिसूचना जारी करता है,अधिसूचना जारी हो जाने के बाद अभिलेख नियमित लेखपाल की अभिरक्षा में सर्वेक्षण लेखपाल को अंतरित कर दिये जाते हैं,जब कोई गांव सर्वे एवं अभिलेख संक्रिया के अर्न्तगत अधिसूचित कर दिया जाता है, अभिलेख अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों सर्वे नायब तहसीलदार/लेखपाल की सहायता से स्थल निरीक्षण करके सीमा के विवादों को निस्तारित करेगा। पुनः नक्शा (भूचित्र को मौके के अनुसार अद्यावधिक ठीक करेगा तथा संशोधित नक्शें की प्रति तैयार करेगा। उसको पुनः संख्याकित किया जायेगा, तथा प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल निकाला जायेगा। सर्वेक्षण प्रपत्र–7 में फर्दमत–बिक पुरानी संख्याओं के क्रम में नई एवं पुरानी संख्याओं की तुलनात्मक सूची तथा सर्वेक्षण प्रपत्र में खसरा मुताबिकत नई संख्याओं में क्रम में तुल्नात्मक सूची तैयार की जायेगी। खतौनी को अद्यावधिक किया जायेगा, तथा गांव के पुनरीक्षित नक्शा (2) सर्वेक्षण प्रपत्र–7 फर्दमुताबिकत (3) सर्वेक्षण प्रपत्र–8 में खसरा मुताबिकत (4) सर्वेक्षण प्रपत्र में स्पष्ट खसरा (5) सर्वेक्षण प्रपत्र–25 में पुनरीक्षित खतौनी (6) सर्वेक्षण प्रपत्र–16 में फर्दचाहा (7)सर्वेक्षण प्रपत्र–17 में फर्दबाग तथा (8) सर्वेक्षण प्रपत्र–18 में फर्दतुजाजात संकलित करके दो जिल्द बन्दोबस्त बनाई जायेगी। एक प्रति राजस्व अभिलेखागार में तथा दूसरी प्रति

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

लेखपाल/तहसील में भेजी जायेगी एवं धारा–48 के अन्तर्गत ही सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रक्रिया समाप्त किये जाने की विज्ञप्ति जारी की जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त बन्दोबस्त के लिए चकबन्दी का स्थाई विभाग स्थापित है। जिसके माध्यम से प्रत्येक गांव में बन्दोबस्त 25 वर्ष के उपरान्त किये जाने की स्थाई व्यवस्था है।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com